

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीटासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 08/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021/73

अपीलांत :- बनाम रेस्पोजेन्ट :-
मांगीलाल पुत्र श्री पुखारामजी, राजस्थान सरकार जरिये
जाति मैणा, निवासी भालेलाव रोड तहसीलदार पाली, जिला पाली
पाली (राज.) (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित :- अपीलांत की ओर से अधिवक्ता उपमा रावल
रेस्पोजेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
-:: निर्णय :-

दिनांक :- 17/9/21

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आदेश तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 856/2021 बअनवान सरकार बनाम मांगीलाल में पारित आदेश दिनांक 04.02.2021 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांत ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोजेन्ट तहसीलदार पाली ने एक प्रकरण संख्या 856/2021 सरकार बनाम मांगीलाल दर्ज कर खसरा नंबर 194 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी सरहद मौजा पाली की भूमी पर संवत 2077 से नाजायज अतिक्रमण किया है का उल्लेख करते हुए अन्तर्गत धारा 91 का नोटिस अपीलांत को दिया गया है अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल मांगीलाल खसरा नम्बर 193 की पुष्पादेवी पुत्री होकारामजी उर्फ पूनमचंद की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमी पर काबिज है रेस्पोजेन्ट तहसीलदार के नोटिस में वर्णित खसरा नंबर 194 की भूमी में अतिचार नहीं किया है। तहसीलदार पाली द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत यह मिथ्या तथ्य अंकित किया कि "आज दिनांक 04.2.2021 आराजी के स्वामित्व बाबत दस्तावेज सबूत पेश नहीं किए हैं तथा ना ही प्रत्युतर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया।" जबकि अपीलांत द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था तथा रेस्पोजेन्ट द्वारा पत्रावली का एवं उस पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन ही नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 194 की भूमी पर काबिज नहीं होकर खातेदारी भूमी खसरा नंबर 193 की कृषि भूमी पुष्पादेवी पुत्री होकारामजी उर्फ पूनमचंद की खातेदारी हक अधिकार की भूमी पर काबिज होने बाबत उल्लेख किया था इस प्रकार अभिवचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय को वाद बिन्दु विरचित करना चाहिए था। तथा विवाद बिन्दु को अभिनिर्धारित करने हेतु न्यायालय को अविवादित मौका रिपोर्ट तलब करनी थी। जो नहीं की जाकर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि चूंकि भूमी नगर परिषद सीमा क्षेत्र में होने से नगर परिषद द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती थी प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या राज्य बनाम कल्याण प्रसाद 1976 आरआरडी पेज 9 का न्यायिक दृष्टांत भी पेश किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि भूमी राजस्व की होने से पटवार हल्का द्वारा संवत 2077 में अपीलार्थी द्वारा ग्राम पाली चक-1 के खसरा नंबर 194 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी पर अतिक्रमण किया जाने से उसकी अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की गई जिसके आधार पर यह प्रकरण दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है इसमें वाद बिन्दु तय करने की आवश्यकता नहीं रहती है भूमी नगर परिषद पाली की नहीं है जो उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। भूमी पूर्ण रूप से राजस्व विभाग की होने से पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की गई।

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर, पाली



एवं तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 856/2021 दर्ज कर अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने बाबत आदेश पारित किए जिसे यथावत फरमाने के आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में निम्न 3 बिन्दु विचारणीय है :-

1. क्या खसरा संख्या 194 पर अतिक्रमण किया जाना साबित किया गया है?
2. अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया अथवा नहीं।
3. क्या उक्त जमीन नगर परिषद के नाम की थी?

पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 194 पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट पेश की गई। एवं अपीलार्थी को नोटिस दिया जाने पर अपीलार्थी तौलाराम उपस्थित हुआ अपीलार्थी द्वारा मातहत अदालत में जवाब भी पेश किया गया जिसमें अपीलांट ने उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं करने बाबत उल्लेखित किया है इस प्रकार अतिक्रमी द्वारा अपने जवाब में अतिक्रमण करने की स्वीकारोक्ति नहीं करने के बाद भी निर्णय में यह लिखा गया है कि अपीलांट ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। यह तथ्य अपीलांट के जवाब से विरोधाभाषी है, तथा निर्णय करते समय सम्पूर्ण विवेचन किया जाना नहीं पाया गया है। मातहत अदालत की पत्रावली में किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत अथवा प्रयास किये जाने नहीं पाये गये जिससे ये सिद्ध हो सके कि अपीलांट का जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण है। इस प्रकार जैर अपील निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

अपीलांट को मातहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अतिक्रमण करने पर नोटिस दिया गया जो अपीलांट स्वयं के द्वारा तामीलसुदा पत्रावली में संलग्न है। एवं अपीलांट स्वयं मातहत अदालत में उपस्थित हुआ था एवं जवाब भी प्रस्तुत किया था इसलिए यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

बिन्दु संख्या 3 के संबंध में अपीलांट द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया कि भूमी नगरपरिषद की है एवं नगरपरिषद द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा राजकीय भूमी में दर्ज है। अतः तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने में सक्षम है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन प्रकरण संख्या 856/2021 बअनवान सरकार बनाम मांगीलाल में पारित आदेश दिनांक 04.02.2021 को अपास्त करते हुए इस आशय से पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को दुबारा सुनवाई का अवसर देते हुए उपरोक्त सभी तथ्यों पर बाद विवेचन **Speaking Order** पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।



(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

